



प्रेस नोट
थाना खेकडा

दिनाँक 01.09.2022

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 370/22 धारा 302/307/504 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 02 तमंचे मय कारतूस व एक टूटा हुआ डण्डा तथा घटना में प्रयुक्त एक पल्सर मो0सा0 बरामद ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 31/08/2022 को थाना खेकडा पर वादी प्रदीप उर्फ मोनू पुत्र श्री सतीश चन्द त्यागी निवासी ग्राम रावण उर्फ बड़ागांव थाना खेकडा जनपद बागपत ने सूचना दी कि उसके चचरे भाई अर्जुन व उसके साथी तपेश के ऊपर



अभियुक्तगण 1-सतेन्द्र उर्फ डब्बल पुत्र अतराज, 2-ऋतिक पुत्र भूरू, 3-विशाल पुत्र लल्लू व उसके अन्य साथी ने गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की नियत से फायरिंग शुरू कर दी । गोली लगने से तपेश की मौके पर ही मौत हो गई तथा अर्जुन भी गोली लगने से घायल हो गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 370/22 धारा 302/307/504 भादवि पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 370/22 धारा 302/307/504 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, अभियुक्तों की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 खोखा व 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर व एक अवैध तमंचा .32 बोर मय 01 खोखा व 02 जिन्दा कारतूस व एक टूटा हुआ डण्डा तथा घटना में प्रयुक्त एक पल्सर मो0 सा0 नं0 UP-17P- 5373 बरामद किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि अर्जुन ने ऋतिक के पिता को कुछ समय पूर्व अपशब्द कहे थे जिसमे ऋतिक को आत्मगिलानी हुई थी तथा आये दिन अर्जुन गालिया देता था तथा बेईज्जती करता था। ऋतिक ने अपने पिता की बेईज्जती का बदला लेने के लिये अपने ताऊ डब्ल उर्फ सतेन्द्र के कहने पर अपने साथियों के साथ मिलकर अर्जुन की हत्या की योजना बनाई। योजना के तहत ऋतिक अपने साथियों के साथ अर्जुन की हत्या करने ट्युबवेल पर गया वहां उनको अर्जुन व तपेश मिले जिनपर अंधाधुंध फायर कर दिया, जिससे तपेश की मौके पर मौत हो गई तथा अर्जुन घायल हो गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- 1- ऋतिक पुत्र बिजेन्द्र उर्फ भूरे निवासी बडागांव थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 2- विशाल पुत्र राजकुमार उर्फ लल्लू निवासी बडागांव थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 3 सतेन्द्र उर्फ डब्ल पुत्र अतराज निवासी बडागांव थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 4- नरेन्द्र गौड पुत्र दयानन्द निवासी बडागांव थाना खेकडा जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 खोखा 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर।

- घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अवैध तमंचा 32 बोर मय 01 खोखा व 02 जिन्दा कारतूस.32 बोर ।
- घटना में प्रयुक्त एक टूटा हुआ डण्डा ।
- घटना में प्रयुक्त एक पल्सर मो0 सा0 नं0 UP17P 5373

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री डीके त्यागी थाना खेकडा ।
- 2- उ0नि0 श्री कैलाश कर्णवाल ।
- 3- का0 301 मुलायम सिंह ।
- 4- का0 335 राकेश कुमार ।
- 5- चालक हरेन्द्र सिंह ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक-01.09.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से दिल्ली से चोरी की हुई एक मो0सा0 हीरो पैंशन फर्जी नम्बर प्लेट लगी हुई बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है । जिनके कब्जे से दिल्ली से चोरी की हुई एक मो0सा0 हीरो पैंशन फर्जी नम्बर प्लेट लगी हुई बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1-दीपू पुत्र संजय निवासी आर्य नगर गली नं0 6 बहादुरगढ़ थाना सेक्टर 09 झज्जर हरियाणा ।

2-सनोच्चर उर्फ रोहित पुत्र महबूब निवासी गाड जठवाडा वार्ड न0 15 बहादुरगढ़ थाना सेक्टर 09 झज्जर हरियाणा ।

बरामदगी का विवरण-



- दिल्ली से चोरी की हुई एक मोसा हीरो पेशन फर्जी नम्बर प्लेट लगी हुई (सम्बन्धित मुअसं 024738/22 धारा 379 भादवि थाना मुडंका दिल्ली) ।

गिरफ्तारी अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

1-मुअसं 024738/22 धारा 379 भादवि थाना मुडंका दिल्ली ।

2-मुअसं 846/22 धारा 411/414 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उनि सोमपाल सिंह थाना कोतवाली बागपत ।

2-का 1053 योगश कुमार थाना कोतवाली बागपत ।

3-का 981 अंकित कुमार थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 01-09-2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1-मिन्टू उर्फ पिन्टू पुत्र निरंजन निवासी बिहारीपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 विनोद कुमार थाना कोतवाली बागपत ।

2-का0 579 कौशल शर्मा थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 01.09.2022

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक मादक पदार्थ तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 600 ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 600 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 813/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1-नितिन कश्यप पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम बरवाली थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण—

- 600 ग्राम अवैध गांजा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री कपिल कुमार ।
- 2- हे0का0 65 महीपाल सिंह ।
- 3- का0 814 अमित नागर ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 01.09.2022

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से 45 पच्चा अवैध देशी शराब यूपी मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 45 पच्चा अवैध देशी शराब यूपी मार्का बरामद हुई है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 808/22 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- समीर पुत्र जमील निवासी पट्टी चौधरान कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

● 45 पच्चा अवैध देशी शराब तोहफा यूपी मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री रविन्द्र सैनी ।
- 2- उ0नि0 अरविन्द कुमार ।
- 3- का0 1070 नरेश कुमार ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 01-09-2022

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 783/22 धारा
147/148/352/452/323/308/504/506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया
गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.08.2022 को थाना बडौत पर
वादी तोसिफ पुत्र हक्कम निवासी
सवाखेडी थाना बडौत जनपद बागपत ने
लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण
1.नसीम पुत्र लियाकत, 2.समीम पुत्र
लियाकत, 3.रिजवान, 4.छोटु,



5.लियाकत, 6.नूरहसन पुत्र इसलामु, 7.रमजान पुत्र इसलामु, 8.आबीद पुत्र सुभा,
9.मीरहसन पुत्र मेहरवान, 10.बाबू पुत्र इसलामु, 11.एक महिला, 12.एक महिला,
13.काला पुत्र मनवीर, 14.बाबू, 15.जमशेद निवासीगण सवाखेडी थाना बडौत द्वारा
उसके घर में घुसकर उसको व उसके परिजनो के साथ गाली-गलौच करते हुए लाठी-
डन्डो व सरियों से मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया तथा जान से मारने
की धमकी दी । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0
783/22 धारा 147/148/352/452/323/308/504/506 भादवि पंजीकृत किया
गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 783/22 धारा 147/148/352/452/323/308/504/506 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त मुकदमा में थाना बडौत पुलिस द्वारा दिनांक 28-08-2022 को 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-नसीम पुत्र लियाकत निवासी ग्राम सवाखेडी थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-व0उ0नि0- श्री शिवदत्त सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।

2-का0 1043 सुनील यादव थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 01-09-2022

थाना बडौत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1-इमामुद्दीन पुत्र लतीफ निवासी ग्राम बिजरौल थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री जगवीर सिंह।

2- है0का0 322 राजकुमार।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 01-09-2022

थाना बडौत पुलिस द्वारा पशु क्रूरता अधिनियम में 05 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक गाडी कैन्टर आयशर जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 16 पशु बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके



कब्जे से एक गाडी आयशर कैन्टर नम्बर RJ-13GB-5300 जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 16 पशु बरामद हुए है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-सुरेन्द्र कुमार पुत्र पोलाराम निवासी ग्राम पखहरिपुरा जनपद हनुमानगढ, राजस्थान

।

2-रणजीत पुत्र प्रभातीराम निवासी ग्राम पखहरिपुरा जनपद हनुमानगढी राजस्थान।

3-सुल्तान पुत्र भागीराम निवासी पुरानी आबादी उदयराम चौक जनपद गंगानगर राजस्थान ।

4- भगवान दास पुत्र बाबूराम निवासी गुडा उर्फ रायारामपुर तहसील जलेसर जनपद एटा ।

5- श्यौदान सिंह पुत्र बटस्वरी निवासी गुडा उर्फ रायारामपुर तहसील जलेसर जनपद एटा ।

बरामदगी का विवरण-

- एक गाडी आयशर कैन्टर नम्बर RJ-13GB-5300
- क्रूरतापूर्वक भरे हुए 16 पशु ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री रविन्द्र कुमार सैनी थाना बडौत ।
- 2- उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार थाना बडौत ।
- 3- का0 1070 नरेश थाना बडौत ।
- 4- का0 166 कुलदीप सिंह थाना बडौत ।
- 5- का0 402 विशाल पुनिया थाना बडौत ।



प्रेस नोट

थाना चांदीनगर

दिनांक 01.09.2022

थाना चांदीनगर पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अवैध मादक पदार्थ तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे 250 ग्राम अवैध चरस (सुल्फा) बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस ने एक अवैध मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 250 ग्राम अवैध चरस (सुल्फा) बरामद हुआ है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-इस्लाम पुत्र स्व0 चन्दा निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 250 ग्राम अवैध चरस (सुल्फा)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री जनार्दन प्रसाद ।
- 2-उ0नि0 श्री उमेश कुमार ।
- 3-है0का0 235 राजेन्द्र सिंह ।
- 4-का0 745 गुलवीर सिंह ।



प्रेस नोट
थाना दोघट

दिनांक 01.09.2022

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 226/2022 धारा 498ए/306 भादवि में
वाँछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के पर मु0अ0सं0 226/2022 धारा 498ए/306 भादवि में वाँछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-राहिल पुत्र अली मौहम्मद निवासी ग्राम पलडा थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-व0उपनि0 श्री नन्दकिशोर ।
- 2- का0 857 सुरेन्द्र कुमार ।
- 3-का0 875 परवेज अली ।



प्रेस नोट
थाना दोघट

दिनांक 01.09.2022

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिंदा कारतूस बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान मे आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- नकुल पुत्र उपेन्द्र निवासी ग्राम दाहा थाना दोघट जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिंदा कारतूस ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री देवेन्द्र सिंह ।
- 2-उपनि० श्री नत्थुलाल ।
- 3-का० 587 अंकुल कुमार ।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 01-09-2022

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 245/22 धारा 379/411 भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

दिनांक 31.08.2022 को वादी श्री ओमवीर पुत्र गिरवर सिंह निवासी सूप थाना रमाला जनपद बागपत ने सूचना कि उसकी साईकिल घर के बाहर खडी जिसको अभियुक्त फिरोज पुत्र शोकत निवासी चान्दनहैडी थाना छपरौली चोरी ले जा रहा था । वादी व जनता के लोगों



दि
थी,
कर

द्वारा अभियुक्त को पकड कर थाने लाया गया । थाना रमाला पुलिस द्वारा चोर को गिरफ्तार किया गया । जिसके कब्जे से चोरी की गई एक साईकिल गोल्ड लाईन एटलस बरामद की गई । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु०अ०सं० 245/22 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. फिरोज पुत्र शोकत निवासी चान्दनहैड़ी थाना छपरौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक साईकिल गोल्ड लाईन एटलस (सम्बन्धित मु०अ०सं० 245/22 धारा 379/411 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-है०का० 184 रनपाल सिंह थाना रमाला बागपत।

2-हो०गा० 565 नरेश कुमार।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 01.09.2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0स0 321/22 धारा
323/504/506/394 भादवि से सम्बन्धित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 31.08.2022 को सिंघावली अहीर पर वादी श्री दीपक पुत्र शीशपाल निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर ने सूचना दी कि वह ग्राम डौला के अंग्रेजी शराब के ठेके पर सेल्समैन है । ठेके पर निक्की पुत्र नरेन्द्र व एक अज्ञात व्यक्ति आये और शराब खरीद कर वंही पिने लगे उसके मना करने पर अभियुक्तों ने उसके साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की व जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। कुछ समय बाद निक्की अपने साथ 15-20 लडको को लेकर आया और सभी ने दीपक को ठेके के बाहर खींच कर लाठी-डंडो व सरिया से पीटते हुए उससे 01 चैन, 01 अंगुठी, व करीब 36 हजार रुपये छीन लिये । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 321/22 धारा 323/504/506/394 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 321/22 धारा 323/504/506/394 भादवि से सम्बन्धित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- गौतम पुत्र लक्ष्मण प्रजापत निवासी मीतली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह चौहान ।

2-का0 357 अनुज शर्मा ।

3-का0 173 सिंहराज नागर ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 01.09.2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस चैकिंग के दौरान एक मादक पदार्थ तस्क़र को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 558 ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

कार्यवाही -

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकधाम एवं अवैध मादक पदार्थ तस्क़रों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 558 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु०अ०सं० 320/22 धारा 8/20 NDPS ACT पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- आजाद पुत्र आशू उर्फ आस मौ० निवासी ग्राम बसौद थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 558 ग्राम अवैध गांजा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० महेन्द्र सिंह चौहान ।
- 2-का० 173 सिंहराज नागर ।
- 3-का० 48 आकाश सिरोही ।
- 4-का० 357 अनुज कुमार ।